इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 जनवरी 2013—पौष 19, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 145-10-इक्कीस-अ (प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०१३.

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१२.

[दिनांक ८ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ९ जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १८७० का सं. ७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का सं. ७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची 2 का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, अनुच्छेद ११ में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) में, उचित फीस से संबंधित कालम में, शब्द "अपील में दावाकृत वर्धित रकम का दस प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "अधिकतम एक लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए अपील में दावाकृत वर्धित रकम का ढाई प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 146-10-इक्कीस-अ (प्रा)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश. संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 3 OF 2013.

THE COURT-FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2012.

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th January, 2013.]

An Act further to amend the Court-fees Act, 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Court-fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2012.

Amendment of Central Act No. VII of 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Court-fees Act, 1870 (No. VII of 1870) (hereinafter referred to as the principal Act), in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule II.

3. In Schedule II to the principal Act, in article 11, in clause (a), in sub-clause (i), in the column pertaining to proper fee, for the words "Ten percent of the enhanced amount claimed in appeal", the words "Two and one half percent of the enhanced amount claimed in appeal subject to a maximum of one lac rupees" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.